LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, January 29, 2026 / Magha 09, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, January 29, 2026 / Magha 09, 1947 (Saka)

CONTENTS PAGES

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS 1 – 30
(S.Q. NO. 01 – 17)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS 31 – 50
(S.Q. NO. 18 – 20)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS 51 – 280
(U.S.Q. NO. 01 – 230)

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, January 29, 2026 / Magha 9, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, January 29, 2026 / Magha 9, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION **281**

RE: AVAILABILITY OF ECONOMIC SURVEY 2025 - 26 THROUGH MEMBERS' PORTAL AND WHATSAPP **281**

PAPERS LAID ON THE TABLE **282**

ASSENT TO BILLS **282 - 83**

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE **283**

13th Report

ANNOUNCEMENT RE: SUCCESSFUL CONDUCT OF 28TH CONFERENCE OF SPEAKERS AND PRESIDING OFFICERS OF THE COMMONWEALTH (CSPOC) **284**

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID **285 - 98**

Shri Dharambir Singh **285**

Shri Vishnu Dayal Ram **286**

Shri Brijmohan Agrawal **286**

Shrimati Malvika Devi **287**

Shri Dulu Mahato **287**

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava **288**

Shri Ramvir Singh Bidhuri **288**

Shri Mukeshkumar Chandrakaant Dalal **289**

Shri Anurag Sharma **290**

Dr. Vinod Kumar Bind **290**

Shri Bidyut Baran Mahato **291**

Shri Sasikanth Senthil **291**

Dr. Shivaji Bandappa Kalge **292**

Shri S. Supongmeren Jamir **292**

Shrimati Sanjna Jatav **293**

Shri Babu Singh Kushwaha **293**

Shri Sanatan Pandey **294**

Shri Kirti Azad **294**

Sushri Mahua Moitra **295**

Shri Murasoli S. **295**

Shri Bastipati Nagaraju **296**

Shri Sunil Kumar **296**

Shri Bhausaheb Rajaram Wakchaure **297**

Shri Amra Ram **297**

Shri Mohmad Haneefa **298**

xxxx

(1100/DPK/GTJ)

(प्रश्न 1)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल, प्रश्न संख्या 1.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आप सदन की गरिमा तोड़ेंगे, तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। कृपया आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 1, श्री सी. एन. अन्नादुरई – उपस्थित नहीं।

श्री जी. सेल्वम – उपस्थित नहीं।

श्री बी. मणिक्कम टैगोर।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Thank you, Sir. The question is relating to the UDAN scheme in Tamil Nadu. The Minister has given the reply in detail, but my question is relating to the Madurai Airport. The Madurai Airport connectivity is a major issue. The hon. Minister knows that the Madurai Airport connectivity has been reduced. Now, only four flights are there. Earlier, there were eight flights to Chennai. There has been reduction in flights to Bangalore also.

I would like to request the hon. Minister to assure the House that the frequency of services on the Madurai–Chennai as well as the Madurai–Bangalore routes will be increased. Thank you, Sir.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, Madurai has been the most important airport in Tamil Nadu. With the same intention, the Government of India has also put in a lot of efforts to develop the Madurai Airport. Especially, I would also like to mention one thing to the hon. Member that when the request came for 24x7 operations of the airport, so that the connectivity improves not only domestically, but internationally also, it was taken up in a very positive manner and it has been done.

The 'International Airport' status is also under active consideration and the connectivity that has been mentioned by the hon. Member, will also be taken up with the selected airlines which will have the capacity to run it. However, the Government of India, particularly the Ministry of Civil Aviation, considers Madurai a very important destination, both domestically and internationally, and we will promote it from our side.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : मैं आज नई परम्परा का प्रयास कर रहा हूं। मेरा प्रयास है कि सभी माननीय सदस्यों के पास सभी 20 प्रश्नों के उत्तर आएं, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय भी 20 प्रश्नों के उत्तर देने का इंतजार करते रहते हैं।

प्रश्न संख्या 2. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

(प्रश्न 2)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान, देश में सबसे ज्यादा टोल दे रहा है और जैसा कि आपने उत्तर में बताया है कि विगत पांच सालों में राजस्थान से लगभग 29,700 करोड़ रुपए का टोल टैक्स संग्रह किया गया है। दूसरी तरफ, टोल रोड्स की हालत बहुत दयनीय है। जयपुर-दिल्ली-अजमेर का जो नेशनल हाईवे नंबर 48 है, मैं समझता हूं कि उससे सबसे ज्यादा टोल देश में आया होगा।

माननीय मंत्री श्री गडकरी जी ने आज से आठ साल पहले उसका निरीक्षण किया था। उस समय कहा गया था कि यह एक साल में तैयार हो जाएगा। आज भी वहां टूटी-फूटी सड़कें हैं। कई जगहों पर सर्विस-लेन नहीं है और कई जगह रोड्स का काम तीन-तीन सालों से चल रहा है, जो पूरा नहीं हुआ है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक प्रश्न पूछिए, उसके बाद सप्लिमेंट्री पूछने का मौका देंगे।

माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय टम्टा : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था, हमने उन्हें उसका उत्तर दिया है। राजस्थान राज्य में टोल के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 8,731 किलोमीटर है।

(1105/KDS/HDK)

माननीय अध्यक्ष : आप इसको मत पढ़ें। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दें।

श्री अजय टम्टा : महोदय, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। जैसा इन्होंने कहा है कि ज्यादा टोल है, ऐसा नहीं है। 8868 किलोमीटर जो रोड है, वह एनएच की है। टोल की संख्या पूरे राजस्थान में 174 है। पूरे देश में 1144 टोल्स हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि टोल ज्यादा लगे हैं या ज्यादा नजदीक है, ऐसा नहीं है। पूरे राजस्थान में एक टोल से दूसरे टोल की दूरी 51 किलोमीटर है। पूरे देश में टोल की दूरी 48 किमी है। यह प्रथम प्रश्न का उत्तर है। राजस्थान में दिल्ली-जयपुर का जो दूसरा प्रश्न था, तो बताना चाहूंगा कि राजस्थान में दिल्ली-जयपुर अंडरपास जून, 2026 तक पूर्ण हो जाएगा।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) : माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में सबसे ज्यादा टोल प्लाजा हैं। इनमें से कितने टोल प्लाजा ऐसे हैं, जो कार्य अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी या तो न्याय द्वारा या कंसेशन द्वारा उन पर टोल वसूला जा रहा है। क्या इन टोलों पर

एम्बुलेंस, टेलीफोन व अन्य प्रकार की समुचित व्यवस्था है? जब दुर्घटना हो जाती है, एम्बुलेंस आने में दो-दो घंटे लग जाते हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में फतेहपुर को एनएच-52 जाता है। उस पर विगत 7 विगत् में 7 व्यक्तियों की मृत्यु दुर्घटना में हो गई और उन्हें दो घंटे तक एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली। सरकार क्या इस पर कोई ऐक्शन लेगी कि जहां टोल वसूला जा रहा है, वहां कोई सुविधा नहीं है। जिनकी टोल अवधि समाप्त हो गई, उनका टोल बंद करके जनता को कब तक लाभ देंगे?

श्री अजय टम्टा : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क 2008 के नियमानुसार टोल संग्रहण किया जाता है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि टोल संग्रहण होने के साथ ही उनकी मेंटीनेंस नियमों के अनुसार ही हम कराते हैं। एम्बुलेंसों की सुविधा भी टोल प्लाजा पर रहती है। इसके अलावा अन्य जो वे साइड एम्निटीज़ हैं, उन सारी सुविधाओं को भी राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा दिया जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर केस आप द्वारा मुझे बताया जाएगा, तो उसका अलग से उत्तर दिया जाएगा।

(इति)

(प्रश्न 3)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य यदि सदन में हैं, तो कृपया प्रश्न पूछें।

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश के ऊर्जावान प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और गरीब कल्याण नेतृत्व में शहरी आवास को नई दिशा मिली है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में यूपीए काल की जेएनएनयूआरएम और बीएसयूपी योजना की जानकारी दी। मैं जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं के समाप्त होने के बाद शहरी गरीब के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना में क्या नए सुधार किए गए हैं और इसका लाभ देश के गरीब लोगों को कैसे मिल रहा है?

श्री तोखन साहू : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यूपीए सरकार के समय जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना वर्ष 2005 में लागू की गई थी। वर्ष 2012 तक यह योजना चली। इस योजना के माध्यम से 7 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे और 12 लाख करोड़ रुपये इसमें व्यय किए गए थे। माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण मिशन के वर्टिकल बीएसयूपी व प्रधान मंत्री आवास योजना में क्या अंतर है और लाभ कैसे मिलता है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मोदी जी की सरकार ने शहरी विकास और आवास के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति की नींव रखी है। यह नींव केवल ईंट और गारे की नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों को साकार करने की कहानी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत माननीय मोदी सरकार की नीतियों का पथ-प्रदर्शक हैं। इसीलिए प्रधान मंत्री आवास जैसी योजनाएं समाज के अंतिम छोर तक विकास की किरणें पहुंचाने का सार्थक प्रयास कर रही है।

(1110/VVK/SNL)

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 के पहले की सरकारों ने विकास के नाम पर केवल खानापूर्ति की है। योजनाएँ या तो कागजों में सिमटकर रह गईं या घटिया निर्माण होने के कारण उनका लाभ गरीबों तक नहीं पहुँचा। चाहे वह जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन हो या राजीव आवास योजना हो, इनका लाभ लोगों को उस तरह से नहीं मिला। केवल नारा लगाते रहे, 'हम भूख मिटाएँगे, हम गरीबी हटाएँगे', लेकिन न तो गरीबी हटी, न भूख मिटी, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबी हटाने का काम यदि किसी ने किया है, तो हमारे देश के आदरणीय प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आँकड़े हमारे सामने कठोर सच्चाई को रखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 6.54 करोड़ लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते थे। यह आँकड़ा हमें उस विशाल चुनौती की याद दिलाता है, जो शहरी गरीबों के सामने थी। एक ऐसा जीवन, न सिर के ऊपर पक्की छत, न पीने के लिए स्वच्छ पेयजल और न ही सम्मान की कोई गारंटी। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया, बल्कि इसे अवसर में भी बदला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 जून 2025 से प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) लागू हुई। इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माँग आधारित योजना है। राज्य सरकारों की माँगों के आधार पर हमने इस योजना के माध्यम से 1 करोड़ 22 लाख 64 हजार से भी ज्यादा आवास स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 98 लाख से ज्यादा आवास पूरे कर लिए गए हैं और जनता को समर्पित भी कर चुके हैं। दो लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय सरकार के सहयोग से एक करोड़ से भी ज्यादा परिवारों के पाँच करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कान सजाने में यह योजना कामयाब रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 'सबका साथ और सबका विकास' इस मंत्र के अनुरूप 22 लाख से अधिक आवास अल्पसंख्यकों के लिए, 24 लाख से अधिक आवास एससी-एसटी समुदाय के हमारे भाई-बहनों के लिए और 42 लाख से भी अधिक आवास पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) का In-Situ Slum Redevelopment (ISSR) वर्टिकल विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ियों को आवास प्रदान करने के लिए होता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के माध्यम से 90 लाख आवास महिलाओं के नाम से स्वीकृत किए गए हैं, जिससे महिलाओं का जीवन भी बेहतर हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से यह है कि देश के ऊर्जावान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी गरीब हितैषी सोच में चल रही प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी ने गरीबों को पक्का घर, इज्जत और सुरक्षित जीवन दिया है, कृपया...

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दूसरी बार के सदस्य हैं, प्रश्न बिना पढ़े बोलने की तैयारी कीजिए।

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : जी महोदय, ठीक है।

माननीय मंत्री जी, कृपया यह बताएँ कि इससे मेरे क्षेत्र में कितने परिवारों का सपना पूरा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : आप संख्या बता दीजिए।

श्री तोखन साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का आँकड़ा बता देता हूँ। … (व्यवधान) मैं शाहजहाँपुर के बारे में भी बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में हमने 21 लाख से भी ज्यादा आवास स्वीकृत किए हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न पूछा है, इसलिए वह जवाब दे रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठे-बैठे प्रश्न न कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री तोखन साहू : महोदय, जिनमें से 17 लाख 63 हजार घरों में काम प्रारंभ हुआ और 17 लाख 17 हजार आवास पूरे हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे भी जा चुके हैं। शाहजहाँपुर के लिए 25 हजार 481 घर स्वीकृत हुए हैं। 25 हजार 129 घरों में काम प्रारंभ हुआ, 24 हजार 203 घर पूरे करके लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

(इति)

(प्रश्न 4)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे- उपस्थित नहीं।

श्री नरेश गणपत म्हस्के- उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री सी. आर. पाटिल : महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(इति)

(1115/SMN/PC)

(Q. 5)

SHRI GOVIND MAKTHAPPA KARJOL (CHITRADURGA): Hon. Speaker, Sir, in the reply, it has been stated that the water being a State subject, as reported by the Government of Karnataka, 169 complaints/irregularities have been received and that the State Government has been requested to take necessary action in respect of these irregularities/allegations.

However, no action has been taken by the Government of Karnataka on the irregularities identified in my Parliamentary Constituency Chitradurga.

It has been informed that in the Chitradurga District, out of 3,81,012 households, 3,36,248 household tap connections have been provided.

However, during my personal inspection of several villages in my constituency, I observed that the claimed 88.5 per cent household tap connections have not been actually provided on the ground.

In view of the above, I request the hon. Minister to constitute a technical expert team to conduct the inspection in Chitradurga District and take necessary steps to ensure the supply of safe and quality water to all the households in my constituency.

श्री सी. आर. पाटिल : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने चित्रदुर्ग के बारे में प्रश्न पूछा है। उन्होंने कई महीने पहले भी तीन-चार पत्र लिखकर डिटेल मांगी थी। हमने स्टेट से उसके बारे में मंगवाई थी, मगर आज तक उन्होंने डिटेल नहीं दी है। चित्रदुर्ग जिले में कुल 3.36 लाख ग्रामीण परिवारों में से 88 परसेंट को नल जल कनेक्शन मिल चुका है।

जल जीवन मिशन के अंदर जितनी भी ग्रांट का उनको आवंटन किया जाता है, उसके ऊपर खुद स्टेट अपना काम करती है। वही टेंडरिंग करती है, वही डीपीआर बनाती है और वही कम्प्लीशन करके हमें रिपोर्ट भी करती है।

माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि इसके बारे में कई बार कंप्लेंट हुई थी। इसके कारण प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी साहब ने भी निर्देश दिए थे कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने टीम बनाकर भेजी है, अलग-अलग टीम ने उसकी रिपोर्ट भी दी है। उसके आधार पर स्टेट को भी रिपोर्ट देकर उसके ऊपर कार्रवाई करने को कहा गया है। पूरे देश में करीब चार हजार से ज्यादा लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। चित्रदुर्ग में भी अगर कोई कमी मिलेगी, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल (चित्रदुर्ग) : नहीं, सर।

(ends)

(Q. 6)

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, in Kerala, we have witnessed several instances of road failure which resulted in accidents and loss of human lives.

Sir, in the reply hon. Minister has stated that a Committee is appointed for inquiry. The NHAI gives two types of contract agreements. One is EPC model and another is HAM. In both these contract agreements, the responsibility for preparation of the road design is with the contractors themselves. Such designs are often not prepared in accordance with the local terrain and soil conditions, and adequate soil testing is not done.

Scientific monitoring and supervision during construction is also inadequate. I want to know whether the Government proposes to appoint an independent agency for design preparation, supervision and scientific monitoring of national highway construction.

I understand that the Public Accounts Committee has submitted a study report regarding the construction failure and structural defects leading to road collapse in the national projects executed by the National Highways Authority of India. If so, please tell us about the major findings and recommendations of the Committee and the actions taken by the Central Government including corrective measures to prevent recurrence of such failure.

श्री अजय टम्टा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो क्वेश्चन है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग - 66 का है। विभिन्न संरचनाओं में जो घटनाएं घटी हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, करीब 550 किलोमीटर का यह मार्ग है। इसमें केरल के अंदर 13 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर हैं।

माननीय सदस्य ने जिक्र किया है कि एनएच-66 में फ्लाईओवर और अंडरपासों में आरएस दीवार गिरने की घटना घटी है और स्लोप के धंसने के मामले भी सामने आए हैं।

(1120/SPS/RP)

इसके लिए हमने आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी गांधीनगर के संस्थानों की एक समिति बनाई। उस समिति के अनुसार हमें जो भी गाइड किया गया, उसके अनुसार कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्चे पर ही कार्रवाई कर रहा है। आरएस

वॉल से संबंधित घटनाओं में दस भू वैज्ञानिक संस्थाओं की नियुक्ति की गई है, जो एनएच-66 पर ऐसे 351 फ्लाईओवर्स (संरचनाओं) का भू विश्लेषण कर रहे हैं। यह काम आईआईटी पलक्कड़ की देख-रेख में हो रहा है। निर्माण मानकों की समीक्षा के बाद अब केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में मिट्टी की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए भू तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर काम चल रहा है। डिपार्टमेंट ने फ्लाईओवर के हिस्से को बढ़ाने का निर्णय लिया है। आरएस वॉल की ऊंचाई को कम करने का निर्णय लिया है, ताकि भविष्य में उनके टूटने की संभावनाएं न रहे। माननीय सदस्य का जो कंफ्यूजन था, उसको क्लियर कर दिया है।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, in the last Session, the hon. Union Minister answered a question raised by Mr. Premachandran which was regarding the National Highway Projects. According to that, if the height of the road embankment exceeds 10 metres, a flyover or elevated structure will be constructed instead of high embankment.

I would like to know whether the Government is ensuring strict compliance with assurance in all ongoing projects. Many of the major contractors are giving contracts to sub-contractors. These sub-contractors are not eligible for this type of work. So, I would like to know whether the Government proposes to tighten eligibility criteria such as technical qualification norms, and past performance for the contractors who are executing National Highway Projects. Also, the penalties imposed on the contractors for sub-standard construction, safety violations, and abnormal delays in National Highways projects are very low and ineffective. I would like to know whether the Government proposes to introduce any provision for permanent banning or long-term debarment of these type of contractors whose negligence and faulty execution endangers public life and property.

Sir, there is one more question. There is a major project of the National Highway projects in Kerala, that is, Angamaly-Kundannoor Project. The notification order for the Angamaly-Kundannoor bypass had already been issued. But, unfortunately, the 3A Notification has been cancelled due to delay in land acquisition. So, I would like to know whether the Government proposes to re-issue the 3A Notification within the month of February itself.

श्री अजय टम्टा : माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय सदस्य के द्वारा कहा गया कि उसके डिजाइन में कोई चेंज किया गया है, लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सिक्स लेन प्लस टू-प्लस टू सर्विस रोड्स सिक्स लेन पर बनाए हैं। इसमें करीब 45 हजार करोड़ रुपये का खर्च आ रहा है। केरल में लैंड और मिट्टी की कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है। मैंने जैसा बताया है कि आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने जो हमें भी रिपोर्ट दी है और भू वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार हाइट में भी परिवर्तन किया जा रहा है।

जैसा उन्होंने बोला है कि इस विषय में कंडीशन के अनुसार डीपीआर में रेटिंग दी गई है। अगर कहीं पर भी इसमें कोई समस्या आएगी, तो हम कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वहां एक टेक्निकल प्रॉब्लम मिट्टी न मिलना है। उसके कारण बड़ी समस्या रहती है। रोड के लिए हमें जितनी भूमि की जरूरत होती है, वह भी एक समस्या रहती है, क्योंकि हम 45 मीटर में ही सिक्स लेन रोड भी बना रहे हैं और टू लेन भी बना रहे हैं। वहां ट्रैफिक का भी बहुत प्रेशर रहता है। ट्रैफिक रोकना कठिन है और रोड चलाते हुए भी काम करना है। वह भी कठिनाई है। हमें कभी-कभी डायवर्जन देकर रोड बनाने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हमें स्थानीय राज्य सरकार का सहयोग चाहिए होता है। जैसा माननीय सदस्य के द्वारा कहा गया है, उसके अनुसार हम कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जांच के आधार पर जो भी जिस पर कार्रवाई करनी है, वह कार्रवाई की जा रही है।

(इति)

(1125/KN/VPN)

(प्रश्न 7)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया, जिसकी वजह से नल से जल गांव के घरों तक पहुंच रहा है। शुरू में सिर्फ 10 परसेंट घरों में नल से जल आता था, लेकिन आज इसकी परसेंटेज काफी बढ़ गई है। देश के लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 15.79 करोड़ से अधिक यानी 81.56 परसेंट परिवारों के पास उनके घरों में नल से जल पहुंच गया है। हमें लगता है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही नहीं, बल्कि देश के लिए इससे बड़ा कोई सुखद समाचार नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी तक बिहार के कितने घरों तक नल से जल गया है और वहां किस तरीके से शत-प्रतिशत घरों तक जल पहुंच जाएगा? क्योंकि इन्होंने देश के आठ राज्यों और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में शत-प्रतिशत नल से जल पहुंचाने में सफलता पाई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार में शत-प्रतिशत घरों में कब तक नल से जल पहुंचा जाएगा?

श्री सी. आर. पाटिल : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा है और सदन को बहुत अच्छी जानकारी भी दी है। वर्ष 2019 तक पूरे देश के अंदर सिर्फ 3.19 लाख कनेक्शन्स थे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसको जल जीवन मिशन के द्वारा, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होने के बावजूद,आर्थिक और टेक्नीकल सहायता देने की योजना बनाई। उसके कारण आज की तारीख में करीब 16 करोड़ घरों के अंदर, पूरे देश में 81 परसेंट से ज्यादा घरों में पानी दिया गया है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि बिहार में इसकी क्या स्थिति है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने जल जीवन मिशन में हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने अपने पैसे से काम किया है। मैं उनको अभिनंदन भी दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, कम खर्च में और अच्छी क्वालिटी के साथ बिहार में काम किया है। उन्होंने इस काम को खुद किया है। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अभी उसका फिगर्स हमारे पास नहीं है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आज देख रहा हूं कि कई लोग इधर भी और उधर भी बातों में बहुत व्यस्त हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है और निवेदन भी है कि जब आप सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा तथा सभागृह की मर्यादा बना कर रखेंगे तभी देश के अंदर लोकतंत्र की मर्यादा रहेगी। इसलिए अगर आपको बहुत लम्बी चर्चा करनी हो तो आप सदन के बाहर जाकर चर्चा करें, नहीं तो मैं नाम से टोकूंगा। माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी, आप बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं। आप अंदर नहीं, बल्कि बाहर जाकर चर्चा कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा है कि अगर आपको दो मिनट कुछ बात करनी हो तो कर लीजिए, लेकिन लंबी मंत्रणा के लिए सभागृह नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से देश में जो नल से जल पहुंचा है, उसकी जानकारी दी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने आंगनवाड़ी और स्कूलों में, देश के लगभग 90 परसेंट स्कूलों में आपने नल से जल पहुंचाया है

और लगभग 86 परसेंट आंगनवाड़ी केन्द्रों तक आपने नल से जल पहुंचाया है। मैं माननीय मंत्री जी से बिहार के संबंध में, विशेषकर महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र के बारे में जानना चाहता हूं कि वहां कितने परसेंट आंगनवाड़ी और कितने परसेंट स्कूलों तक नल से जल पहुंचा है? बिहार के सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों में और महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र के एक-एक घर में कब तक नल से जल पहुंचा जाएगा?

श्री सी. आर. पाटिल : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी बताया कि बिहार सरकार ने जल जीवन मिशन में कोई हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कोई ग्रांट भी नहीं ली। उन्होंने अपने पैसे से और अपना डीपीआर बनाकर काम किया है। उन्होंने अच्छा काम किया है। उन्होंने कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों में पानी पहुंचाया है, उसकी डिटेल हमारे पास अभी नहीं है।

(1130/ANK/UB)

माननीय अध्यक्ष : आपने अपने जवाब में शायद यह जानकारी दी है।

श्री सी. आर. पाटिल : हां जी, हमने यह जानकारी दी है।

माननीय अध्यक्ष : स्कूलों में 80.62 प्रतिशत और आंगनबाड़ी में 80.60 प्रतिशत, आपने अपने जवाब में यह जानकारी दी है।

श्री सी. आर. पाटिल : सर, यह आंकड़ा पूरे देश का है।

माननीय अध्यक्ष : हां, यह पूरे देश का आंकड़ा है।

नव चरण माझी।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न नंबर 8, श्री वी के श्रीकंदन।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यह देखिए कि बहुत मुश्किल से बीस माननीय सदस्यों का लाटरी में नंबर खुलता है। अब आप पांच या छः प्रश्नों पर ही अटक जाएं, तो बताइए कि बाकी 14 के साथ तो इनजस्टिस है या नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मुझे यह बताइए। मैं इसको सदन के निर्णय पर छोड़ता हूं। यदि आप कहेंगे कि उन्हीं पांच-छः प्रश्नों के लिए सप्लीमेंट्री पूछिए, तो मैं एक प्रश्न पर ही सप्लीमेंट्री पूछकर उसमें पूरा एक घण्टा खर्च कर सकता हूं, लेकिन क्या यह अन्याय नहीं है, आप यह बताइए? यहां पर 543 संसद सदस्य हैं और इन सबमें से बड़ी मुश्किल से 20 सदस्यों के प्रश्न आते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में प्रश्न पूछें और माननीय मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि संक्षिप्त में जवाब दें, क्योंकि हम 20 प्रश्नों का प्रयास करते हैं। उसी तरह से धीरे-धीरे सप्लीमेंट्री का भी प्रयास करेंगे।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 8)

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD) : Sir, my question is this. What is the total number of Detailed Project Reports prepared so far on the proposals received concerning Kerala State roads?

श्री अजय टम्टा : अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य के द्वारा राज्य सड़क को एनएच करने के लिए बोला गया है। जैसा कि पूर्व में भी मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सामरिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जो स्टेट सेक्टर की रोड है, उस पर पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) के आधार पर, टूरिज्म को देखते हुए और राज्य सरकार के आग्रह पर भी यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूंकि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत ही हम एनएच ले पाते हैं। वर्तमान में डेढ़ लाख किलोमीटर एनएच हमारे पास हैं। हम उन्हीं को फोर लेन से सिक्स लेन में डेवलप करने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य जो प्रस्ताव देते हैं, उस पर हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा आकलन किया जाता है और उस पर कार्यवाही की जाती है।

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, my second supplementary question is about the two State roads i.e. Palakkad-Thrissur *via* Ottapalam and Shoranur, and Pollachi-Thrissur *via* Gopalapuram, Kozhinjampara and Palakkad. As these roads have high density of vehicular movement, has the Government received any proposal for converting these State roads into National Highways? If yes, I would like to ask the hon. Minister what steps have been taken in this regard.

श्री अजय टम्टा : महोदय, चूंकि माननीय सदस्य ने फिर से स्टेट सेक्टर की रोड का जिक्र किया है। मैंने कहा कि इन सब मानकों के आधार पर, जो उस पर पीसीयू हैं, उनके ऊपर हम ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को भी ठीक करने के लिए सीआरआईएफ फंड से पैसा दिया जाता है। उस फंड के माध्यम से, भारत सरकार से मिलने वाले फंड से राज्य सरकार उस पर काम कर सकती है और उसको बेहतर बना सकती है।

(इति)

(1135/RAJ/VR)

(प्रश्न 9)

श्री परषोत्तमभाई रूपाला (राजकोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जल स्रोतों के डीसिल्टिंग के बारे में जवाब दिया है, इसके लिए मैं इनका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले वहां रीजनल वाइब्रेंट समिट हुई थी और इसके चलते प्रधान मंत्री जी वहां पधारे थे एवं उन्होंने इस विस्तार से लोगों के ऐस्प्रेशंस को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाने का प्रयास किया है। इस सिलसिले में, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। राजकोट, मोरबी और जामनगर को मिला कर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब डेवलप किया जा रहा है। इसके कारण पूरे सौराष्ट्र और देश से वहां आबादी बढ़ रही है और इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं।

इसके कारण मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान जल स्रोतों , जैसे कि आजी, नयारी, रांदेरदा, लाल परी और एक अटल सरोवर बनाया है, क्या इन सभी जल स्रोतों की क्षमता बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार और कॉर्पोरेशन को साथ में लेकर जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कोई विस्तृत योजना बनाने का आशय है? मैं ऐसा नम्र अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री सी. आर. पाटिल : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद राजकोट से चुनकर यहां आए हैं। उनको पता है कि राजकोट में पीने के पानी की भी बहुत किल्लत थी। जब माननीय प्रधान मंत्री जी माननीय मुख्य मंत्री थे, तभी उन्होंने कई बांध बनाए थे। नर्मदा से सीधे सभी डैम्स में पानी डाला गया, जिसकी वजह से पीने के पानी की किल्लत खत्म हो गई है। अब वहां पर इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, हम उसके लिए पानी के स्त्रोत बढ़ाने की कोशिश करें, यह 'जल जीवन मिशन' का विषय नहीं है, मगर मंत्रालय से लोगों को साथ जोड़ कर, वहां पर जल संचय, जन भागीदारी के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो निर्देश दिया था, हम उसके आधार पर काम कर रहे हैं। अभी तक वहां 10-12 महीनों में 39.6 लाख स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। माननीय सांसद जी को यह पता है। मैं कह सकता हूं कि गुजरात के राजकोट में सबसे ज्यादा काम हुआ है। वहां लोगों ने सहयोग किया है। करीब 15 हिताची एनजीओ को उस काम के लिए दिए गए हैं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। सबसे अच्छा काम राजकोट-मोरबी के विस्तार में हो रहा है। वहां आवश्यकता एकदम बढ़ी है, इसके कारण वहां पानी की व्यवस्था करना एकदम आवश्यक है। इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। मगर यह 'जल जीवन मिशन' का विषय नहीं है।

श्री परषोत्तमभाई रूपाला (राजकोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार का विषय है, मैं यह मानता हूं। मगर, जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद सभी पानी के स्रोतों का अध्ययन करना, उसके विवेकपूर्ण उपयोग करने की गाइडलाइंस भी केन्द्र सरकार की ओर से प्रकाशित हुई है, उसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार और स्थानीय तंत्र को साथ में रख कर कोई प्लान बने, जिसके जरिए इस विकसित एरिया में जल आपूर्ति में बाधा न पड़े।

श्री सी. आर. पाटिल : माननीय अध्यक्ष जी, यह सुझाव बहुत ही अच्छा है और इस पर अमल भी हुआ है। कई राज्यों ने गाद निकाल कर आर्थिक उपार्जन का काम किया है और वह बहुत बड़ी मात्रा में हो भी रहा है। गुजरात, राजस्थान और कई अन्य राज्यों में डैम्स से गाद निकाल कर उनकी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की गई है। उनके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। हमने यहां पर भी वर्ष 2022 में गाद निकालने की कार्यशैली के लिए भी एक राष्ट्रीय ढांचा प्रकाशित किया है, ताकि राज्यों और बांध के मालिकों को गाद प्रबंधन कैसे करना है, उसकी इंफॉर्मेशंस उनको मिल जाए। जो गाद निकालना है, उसके जो मालिक राज्य सरकार या केन्द्र सरकार है, वह उनकी जवाबदारी होती है। मगर, इस प्रकार से गाद निकाला जाए कि बांध को नुकसान न हो और इससे उनकी क्षमता बढ़े, यह कोशिश पूरी तरह से हो रही है।

(इति)

(1140/NK/PBT)

(प्रश्न 10)

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विकसित भारत में विकसित जनजाति बस्तियों को लेकर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया। यह बहुत ही उत्कृष्ट है और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। माननीय मंत्री महोदय ने विस्तृत जवाब दिया है कि इसमें 17 लाइन मिनिस्ट्रीज हैं और 25 इंटरवेन्शन्स हैं।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का पूरा जवाब नहीं आया। मेरा आग्रह है कि जब 25 इंटरवेन्शन्स है और 63 हजार जनजातीय बस्तियों में जाना है तो क्या इस संबंध में कोई प्लॉन बना है और अभी तक कितने प्रस्ताव आए हैं?

श्री दुर्गा दास उइके: माननीय अध्यक्ष जी, देश में सर्वाधिक शासन जिन दलों ने किया, उन्होंने जनजाति समाज की कोई चिंता नहीं की। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय का पृथक से निर्माण करके जनजातीय समाज के बंधु-बांधव की चिंता की। देश के संवेदनशील और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल और प्रेरक नेतृत्व में जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू हुआ, जिसमें 63 हजार गांवों को सम्मिलित किया गया है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जनमन योजना है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जब आप जवाब दें तो जेब में हाथ न डालें।

श्री दुर्गा दास उइके: माननीय अध्यक्ष जी, पीवीटीजी यानी अति पिछड़ी जनजातियों को इसमें शामिल करके और उनके सर्वांगीण विकास की रूपरेखा बनायी गई है और इस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है, आदि कर्मयोगी योजना, श्रीअन्न योजना, पेसा एक्ट, जो जल, जंगल, जमीन, जिसके लिए अनवरत जनजातीय समाज संघर्ष करते रहा है, पेसा एक्ट लागू किया गया। जनजाति समाज में जो एनिमिया है, कुपोषण के निराकरण के लिए काम चल रहा है। जनजाति गौरव दिवस है। मेरा कथन था कि जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार के नेतृत्व में चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। उस संबंध में विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखी जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्तूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालय द्वारा किए गए 25 उपाय शामिल है। इसका लक्ष्य अति पिछड़े गांव और अकांक्षी जिलों में अवसंरचना और मानव विकास के अंतरों को पूरा करके जनजातीय समुदायों का समग्र और सामाजिक विकास करना है।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप इतना बता दो कि गांव का प्लॉन बनाया है या नहीं बनाया है? उन्होंने इतना ही पूछा है।

श्री दुर्गा दास उइके: माननीय अध्यक्ष जी, इस अभियान के तहत देश भर के 30 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 2911 ब्लॉकों में कुल 63,843 जनजातीय गांवों को कवर किया गया है। इस अभियान में छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के क्रमश: 6691 और 7667 गांव इसमें शामिल किए गए हैं।

माननीय अध्यक्ष: मन्ना लाल जी, क्या आप दूसरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं?

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : जी।

सर, 63 हजार गांवों से ऐसा लगता है कि गांव को यूनिट बनाया गया है। मेरा आग्रह यह है कि हरेक गांव में ग्राम सभाएं करके वहां योजना का जो भी अंतराल है, 25 इंटरवेंशन्स बिल्कुल क्लियर हैं। क्या अभाव है,उसका यदि पूरा प्लान बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए ग्राम सभाओं का आयोजन करना इसमें एक अच्छा उपाय हो सकता है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ग्राम सभाओं का आयोजन करना चाहती है?

माननीय अध्यक्ष : सुझाव बहुत अच्छा है।

श्री दुर्गा दास उइके: आपका सुझाव बहुत उत्तम है और आपके सुझाव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(इति)

(1145/IND/SNT)

(प्रश्न 11)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 11,

माननीय देवेश शाक्य - उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी।

श्री अजय टम्टा : अध्यक्ष जी, विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

(इति)

(प्रश्न 12)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 12, श्री बी.के. पार्थसारथी।

SHRI B. K. PARTHASARATHI (HINDUPUR): Speaker Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister that timely access to credit is critical for SC/ST entrepreneurs to sustain enterprises, meet working capital needs, and prevent business disruptions. What specific steps has the Ministry taken to address delays and ensure timely credit delivery to SC/ST entrepreneurs, particularly women, under the NSSH scheme?

श्री जीतन राम माँझी: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब का विषय उठाया है। हम लोग इनके विकास के लिए, एंटरप्रोन्योरशिप के लिए काम करते हैं। इसमें महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हैं। हमने माननीय सदस्य को विवरण दे दिया है और उन्होंने पढ़ा भी होगा। यदि वह विवरण माननीय सदस्य ने नहीं पढ़ा है, तो मैं बता सकता हूं कि उसमें वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2024-25 तक का विवरण दिया गया है और कुल लाभार्थी पुरुषों का परसेंटेज 68.18 है, जबकि लाभांवित महिलाओं का आंकड़ा 39.72 परसेंट है। वर्ष 2016-17 में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जब से यह प्रारम्भ हुआ है, तब से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और समस्त भारत में लगभग 15 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति हब्स के माध्यम से यह कार्य हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सप्लीमेंटरी क्वेश्चन।

SHRI B. K. PARTHASARATHI (HINDUPUR): No, Sir.

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू - उपस्थित नहीं।

(इति)

(प्रश्न 13)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 13, कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस।

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): Sir, this concerns the construction of a flyover in front of Dabolim airport, which, as everybody knows, is meant for transporting coal from MPA to other States. As per the rules, for any construction near an airport, and as per the Gazette notification of the Ministry of Civil Aviation, it is mandatory to take an NOC for Obstacle Limitation Surface (OLS).

महोदय, इस कंस्ट्रक्शन में एनओसी नहीं ली गई। हम बार-बार कहते रहे और the Indian Navy, which is the custodian of the airport, told the NHAI contractor to please take the NOC, as it posed a danger to civil aircraft which are operating there. However, they were defiant. People approached the High Court, and the High Court directed that the NOC be obtained from the Navy. Accordingly, the design was altered and 17 pillars were cut. What is the loss suffered by the Centre due to this cutting, because this project is only meant to benefit the person who is transporting coal from MPA to other States? All the people constructing houses around the airport have to mandatorily take permission.

श्री अजय टम्टा : अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य द्वारा बताया गया है कि डीपीआर कंसल्टेंट्स ने कार्य करने से पहले नौसेना की स्वीकृति नहीं ली थी, तो उस पर उचित कार्यवाही की जा रही है। वहां जो बिल्डिंग मौजूद है, उसकी ऊंचाई इस फ्लाईओवर से ज्यादा है, इसलिए कंसल्टेंट्स नौसेना की मंजूरी की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगा सके। इस पूरे प्रकरण में लगभग चार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा आ रहा है, इस पर मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जा रहा है।

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): Sir, my humble request is that action should be taken against the NHAI officials who defied taking permission from the Indian Navy and thereby caused this loss, because it is only going to benefit the transporter, Adani.

श्री अजय टम्टा : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बता दिया है कि एनओसी लेने के उपरांत डीपीआर में जो एक्सट्रा इनवेस्टमेंट हमें करना है, वह हम कर रहे हैं और जो विभागीय कार्यवाही की जानी है, वह हम कर रहे हैं।

(इति)

(1150/MNS/RTU)

(प्रश्न 14)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 14 - श्री गोपाल जी ठाकुर।

माननीय मंत्री जी, आज बहुत सारे प्रश्न आपके विभाग से संबंधित हैं। आप इस बहाने पूरे डिपार्टमेंट की कार्य-प्रणाली समझ जाएंगे।

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे आमस-दरभंगा जो लगभग 12,000 करोड़ रुपये से बनने जा रहा है और वर्षों से इसके कार्य काफी धीमी गति से हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि अमास-दरभंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कब तक पूरा होगा और दरभंगा से नेपाल तक जो भारत की सीमा है, उसे वहां तक कब तक ले जाएंगे?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि दरभंगा-जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 527बी, जो जयनगर तक जा रहा है, उसमें मात्र 15 किलोमीटर का टेंडर हुआ और वह अभी वर्षों से लंबित है। उस पर कोई काम अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है।

तीसरा विषय दरभंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना से संबंधित है। वह भी वर्षों से लंबित है, उस पर किसी तरह का काम अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। दरभंगा आरओबी का काम भी अभी तक नहीं हुआ है। वह काम काफी धीमी गति से चल रहा है।

श्री अजय टम्टा : माननीय अध्यक्ष जी, अमास-दरभंगा एक्सप्रेस वे का 25 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। माननीय सदस्य द्वारा दरभंगा-जयनगर का जो विषय उठाया गया, वह स्वीकृत हो चुका है, उसकी डीपीआर उन्नत स्थिति में है और उस पर बहुत जल्दी कार्यवाही की जाएगी।

तीसरा प्रश्न उन्होंने दरभंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और आरओबी के मामले उठाए हैं, जो राज्य सरकार से संबंध रखते हैं। चूंकि वे एनएच पर नहीं हैं, इसलिए उस पर राज्य सरकार को निवेदन किया गया है और मैं माननीय सदस्य जी को आश्वस्त करता हूं कि आपके प्रश्न के अनुसार एनएच के नेटवर्क पर दरभंगा और मिथिला प्रदेश में भी कार्य प्रगति पर है। दिसंबर 2026 तक आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे का कार्य पूर्ण होने की संभावना है। दरभंगा-जयनगर में अगले वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू कर दिया जाएगा, मैं यह माननीय सदस्य जी को अवगत करवाना चाहता हूं।

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो एनएच मुजफ्फरपुर-दरभंगा-झंझारपुर-अररिया अभी निकाली गई है, वह अभी जर्जर स्थिति में है। आप उसके बारे में भी जवाब दे दीजिए।

श्री अजय टम्टा : अध्यक्ष जी, मैं इसका उत्तर माननीय सदस्य जी को भिजवा दूंगा।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 15, श्री विष्णु दयाल राम।

(प्रश्न 15)

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या राज्यों को या शहरी निकायों को ग्रीन टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन, यथा सोलर एनर्जी के लिए, रेल वाटर हार्वेस्टिंग या सस्टेनेबल बिल्डिंग मेटेरियल यूज के लिए अतिरिक्त सहायता या प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है या प्रदान करने का विचार है?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिपार्टमेंट ने तय किया है कि पीएमएवाई-यू 2.0 के हिसाब से इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए एक फंड बनाया गया है, जो उसी के माध्यम से टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट दी जाती है। यह 1000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर और अधिकतम 30 स्क्वायर मीटर तक के मकान के लिए दी जाती है और इसमें स्टेट्स को भी साथ में उतना ही पैसा देना होता है। इस नाते से स्टेट का योगदान भी इसमें आना चाहिए। मुझे यह बताते हुए कष्ट हो रहा है कि झारखंड में इस योजना के अंतर्गत केवल 2,834 घर सरकार की स्वीकृति के लिए हैं। हमने यह उनको भेजा था और अभी तक हमें इसका उत्तर नहीं मिला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि झारखंड सरकार इसमें थोड़ी प्रगति दिखाए तो निश्चित रूप से गरीब जनता को और ज्यादा लाभ होगा।

(1155/RV/AK)

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : महोदय, मेरा दूसरा सप्लिमेंट्री प्रश्न है कि क्या सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत रहने वाले लाभुकों के एनर्जी कंजम्पशन की कोई समीक्षा की है कि उनको एनर्जी कंजम्पशन में कोई फायदा हुआ है अथवा नहीं हुआ है, चूंकि एनर्जी इफिशिंएट डिजाइन के आधार पर ये मकान निर्मित्त हैं?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इन सब टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के बाद स्टेट के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई जाती है और वह कमेटी थर्ड पार्टी के माध्यम से इस प्रकार का सर्वे कराती हैं। ऐसे दिशा निर्देश हैं कि तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियां उसके माध्यम से मिशन में बी.एल.सी., ए.एच.पी. और ए.आर.एच. घटकों के तहत इसकी गुणवत्ता और उसमें बिजली का जितना लाभ होता है, उसका मूल्यांकन करें। राज्य सरकार के माध्यम से इसका उत्तर दिया जा सकता है।

(इति)

(प्रश्न 16)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नम्बर 16, श्री के. सुधाकर - उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री महोदय।

श्री सी. आर. पाटिल : अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(इति)

(प्रश्न 17)

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) : सर, मैं माननीय पन्त प्रधान नरेन्द्र मोदी, एविएशन मिनिस्टर नायडू सर और हमारे एम.ओ.एस. मुरलीधर मोहोल जी के प्रति बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि नवी मुम्बई एयरपोर्ट ऑपरेश्नलाइज्ड हो गया है।

मैंने पालघर के बारे में जो क्वैश्चन पूछा था, उसका यह जवाब मिला है कि राज्य सरकार से अभी तक साइट क्लियरेंस नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि साइट क्लियरेंस के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के साथ मिल कर क्या उपाय योजना बना रही है और यह साइट क्लियरेंस कब तक मिल सकता है?

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में हमने इस तरह लिखा था कि जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी है, उसके तहत अगर राज्य सरकार कोई साइट निर्धारित करती है कि यहां पर एयरपोर्ट बनना चाहिए तो उसके हिसाब से हम साइट क्लियरेंस के लिए एक्टिविटी शुरू करते हैं, पर हमारे पास राज्य सरकार से पालघर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी किसी जगह के बारे में ऐसा कुछ नहीं आया है कि यहां पर एयरपोर्ट बने। अगर ज़मीन का आइडैंटिफिकेशन करके वहां पर एयरपोर्ट बनाने का कोई प्रपोजल आता है तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन साइट क्लियरेंस के लिए उसको कंसीडर करती है। अभी इस तरह से कोई भी जगह निर्धारित नहीं की गयी है।

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) : सर, जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसके बारे में हमारे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री देवेन्द्र जी ने घोषणा की है कि वह पूरा समुद्र के अन्दर बनने वाला है। जुहू के पास के समुद्र पर भी उसका असर होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार नैचुरल फिशिंग, फिशरमेन और एरिया फिशिंग के ऊपर स्टडी करके उसकी उपाय योजना पर कुछ काम कर रही है?

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ऐसा एक पहला प्रयोग कर रही है कि ऑफशोर में भी, समुद्र तट पर हम एक एयरपोर्ट बनाएं, वाधवन पोर्ट के साथ वहां पर बनाएं। पर, जब भी हम कोई नया एयरपोर्ट बनाते हैं, चाहे वह लैंड पर हो या समुद्र के बगल में बनाते हैं तो उसका एन्वायरनमेंट क्लियरेंस जरूर से लेना पड़ता है और जब हम एन्वायरनमेंट क्लियरेंस लेते हैं तो जो भी इश्यूज़ आदरणीय सांसद जी ने मेन्शन किये हैं, उन सब का भी सर्वे होता है। उन सबके ऊपर भी कार्रवाई करने के बाद ही वह क्लियरेंस मिलता है, इसलिए हम उन सबका ध्यान रखेंगे।... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : इसी तरह हमारे यहां का भी एक विषय है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभापति टेबल के लोग हैं, ऐसे बीच में नहीं उठते।

श्री खगेन मुर्मु।

... (व्यवधान)

(pp. 25-30)

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काफी विस्तार से उत्तर दिया है। मेरा संसदीय क्षेत्र माल्दहा उत्तर है। मैं मंत्री जी से कई बार मिल चुका है।

सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माल्दहा एयरपोर्ट एक पुराना एयरपोर्ट है। वहां बहुत धीमी गति से कार्य चल रहा है। वह बहुत छोटा-सा और पुराना एयरपोर्ट है, लेकिन उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। इसलिए बार-बार मंत्री जी से मिलकर मैंने बताया कि माल्दहा में एक एयरपोर्ट बने। वह सिलीगुड़ी से 250 किलोमीटर है और कोलकाता से 350 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए अगर माल्दहा में एक एयरपोर्ट बनेगा तो बहुत अच्छा होगा। इससे बिहार, झारखंड और बंगाल के सभी यात्रियों को भी सुविधा होगी।

(1200/MY/SRG)

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : अध्यक्ष महोदय, मालदा वेस्ट बंगाल में एक जगह है। वहां एक पुरानी एयरस्ट्रिप थी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय सांसद जी काफी प्रोएक्टिवली इसके पीछे लगे हैं और वह कोशिश कर रहे हैं कि यहां एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी खुले। परंतु, इसके पीछे जो फैक्ट्स हैं, उसके बारे में मैं एक बार जरूर बताना चाहूंगा।

महोदय, वर्ष 2016 में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के रिक्वेस्ट पर उनके साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एमओयू किया था कि इस एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए उनके साथ 30 साल का एमओयू किया गया था। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि काफी दिनों तक वेस्ट बंगाल के तहत वहां कोई भी एक्टिविटी नहीं की गई। फिर हमने उस स्ट्रिप को उड़ान के तहत रखा। हमने इसे बिडिंग के लिए खोला है। एयरलाइंस भी वहां से स्टार्ट करने के लिए काफी उत्साहित हैं। अभी जिस तरह से उड़ान की स्कीम है, जो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्कीम है। डोमेस्टिक कनेक्टिविटी को एक नई उड़ान देने के लिए हमारी कामयाबी की यह स्कीम है। यह करीब-करीब वर्ष 2026 में खत्म होने जा रही है।

महोदय, अभी आदरणीय वित्त मंत्री जी भी यहां पर है। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछली बार उन्होंने बजट में इसी उड़ान स्कीम का एक मोडिफाइड एक्स्टेंडेंड स्कीम के बारे में उल्लेख किया था। इसके शायद 120 नए डेस्टिनेशन भी खुलेंगे। हमारी जो अगली उड़ान स्कीम बनने वाली है, उसमें हम जरूर मालदा का उल्लेख करके उसको पूरी तरह से डेवलप करेंगे। इसके लिए हमारी तरफ से जरूरी कोशिश रहेगी।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं - श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री राजेश रंजन, एडवोकेट चन्द्र शेखर, श्री एंटो एन्टोनी, डॉ. मो. जावेद, श्री कोडिकुन्नील सुरेश । मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की है।

सदस्य पोर्टल और वॉट्सएप के माध्यम से आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 को उपलब्ध कराये जाने के बारे में

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग-दो के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किये जाने के पश्चात उसकी प्रतियां मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएंगी।

अब आपको वॉट्सएप पर भी इसकी प्रतियां उपलब्ध करा दी जाएंगी। अभी कई नए परिवर्तन किए गए हैं। आने वाले समय में सभी परिवर्तन आपको नजर आएंगे। सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह भी रहेगा कि संसद की कार्यवाही को और उचित तरीके से चलाने में सहयोग करें। आप जब भी इनोवेशन और नए सुझाव देंगे, हम कोशिश करेंगे कि संसद में माननीय सदस्यों के अनुकूलता के अनुसार उन सारे टूल्स का उपयोग किया जाए, ताकि माननीय सदस्यों की क्षमता बढ़ सकें और वे अच्छी संवाद और सकारात्मक चर्चा कर सकें।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1203 बजे

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर - 2, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, with your permission, I rise to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Economic Survey 2025-26;
(2) Economic Survey - 2025-26 – Statistical Appendix.

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 3, श्री किंजरापु राममोहन नायडू।

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने सहयोगी श्री मुरलीधर मोहोल जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(2) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(1205/SM/MLC)

ASSENT TO BILLS

1205 hours

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table the following four Bills passed by the Houses of Parliament during the Sixth Session of Eighteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 2nd December, 2025:-

I. The Manipur Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2025
II. The Central Excise (Amendment) Bill, 2025
III. The Health Security *se* National Security Cess Bill, 2025
IV. The Appropriation (No.4) Bill, 2025

I also lay on the Table copies, duly authenticated by the Secretary-General, Rajya Sabha of the following four Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:-

I. The Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G **(विकसित भारत- जी राम जी)** Bill, 2025
II. The Repealing and Amending Bill, 2025
III. The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill, 2025
IV. The *Sabka Bima Sabki Raksha* (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025

—-

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर-5, श्री किरेन रिजिजू।

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
13th Report

1208 hours

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I rise to present the Thirteenth Report of the Business Advisory Committee.

—-

राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों (CSPOC) के 28वें सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन के बारे में उल्लेख

1209 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की संसद द्वारा 14 से 16 जनवरी, 2026 के बीच राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों (CSPOC) का 28वां सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ये सम्मेलन 16 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया गया।

सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 15 जनवरी, 2026 को ऐतिहासिक संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में किया गया।

यह सम्मेलन 53 राष्ट्रमंडल देशों और 14 अर्ध स्वायत्त संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों को एक मंच पर लाता है। मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस सम्मेलन में रिकॉर्ड, अभी तक CSPOC सम्मेलन में हुए देश में सबसे ज्यादा 60 से अधिक पीठासीन अधिकारी और 200 डेलीगेट्स ने इसमें हिस्सा लिया।

सम्मेलन में आईपीयू (इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन) की प्रेसिडेंट डॉ. तुलिया एक्सन, सीपीए (कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन) के चेयरपर्सन डॉ. क्रिस्टोफर कलिला को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया।

इस सम्मेलन में माननीय संसद सदस्यों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाए रखने में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, संसदों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और माननीय सदस्यों पर इसके प्रभाव, संसद के बारे में जनता की समझ बढ़ाना और उसमें जन-भागीदारी बढ़ाने के लिए अभिनव रणनीतियां तथा माननीय संसद सदस्यों और संसदीय कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के विषय में दो दिन तक चर्चा हुई।

इस सम्मेलन में मेरी 40 आमंत्रित देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। वार्ता के दौरान उन सभी अतिथियों ने भारत के सशक्त और जीवंत संसदीय लोकतंत्र की सराहना की। उन्होंने भारत के साथ एक मजबूत मित्रवत सहयोग बनाए रखने की इच्छा भी व्यक्त की।

CSPOC की परम्परा के अनुसार सम्मेलन के समापन पर 17 जनवरी, 2026 को अतिथियों का शिष्टमंडल जयपुर भ्रमण पर भी गया।

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1209 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है, वे व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर अपना अनुमोदित पाठ प्रस्तुत कर सकते हैं।

Re: Need to include Naturopathy under Ayushman Bharat Scheme

श्री धर्मबीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : प्राकृतिक चिकित्सा आयुष प्रणाली के अंतर्गत एक मान्यता प्राप्त उपचार पद्धति है और देशभर में बड़ी संख्या में लोग इससे इलाज कराते हैं। विशेषकर जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप, जोड़ों का दर्द, तनाव और पाचन संबंधी रोगों में इससे लोगों को वास्तविक और स्थायी लाभ मिल रहा है। यह पद्धति दवाइयों पर निर्भरता कम करती है और शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को मजबूत बनाती है। वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना में प्राकृतिक चिकित्सा की सेवाएँ समुचित रूप से शामिल नहीं हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के वे परिवार वंचित रह जाते हैं जो कम खर्च में प्राकृतिक तरीके से इलाज कराना चाहते हैं। यदि प्राकृतिक चिकित्सा को आयुष्मान भारत में शामिल किया जाए तो गरीब वर्ग को सुलभ, सुरक्षित और किफायती उपचार मिलेगा, जीवनशैली रोगों में दवाइयों पर निर्भरता घटेगी, अस्पतालों पर बोझ कम होगा और रोकथाम आधारित स्वास्थ्य मॉडल को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आयुष क्षेत्र में रोजगार और संस्थागत विकास को भी गति मिलेगी। अतः मैं सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा के परामर्श, उपचार और भर्ती सेवाओं को आयुष्मान भारत योजना में शीघ्र शामिल किया जाए।

(इति)

Re: Need to revise the honorarium and regularise the services of Aanganwadi Sevika and Sahayika engaged under Integrated Child Development Services Scheme

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अंतर्गत कार्यरत आंगनवाडी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के द्वारा लंबे समय से उनकी सेवाओं के नियमितीकरण, मानदेय में यथोचित संशोधन तथा उसका समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी एवं बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करने की माँग लगातार की जा रही है। इसके अतिरिक्त, गैर-आईसीडीएस कार्यों एवं अत्यधिक प्रशासनिक दायित्वों को कम कर कार्य दायित्वों का युक्तिकरण करने, आंगनवाडी केंद्रों में आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पारदर्शी भर्ती एवं पदोन्नति प्रक्रिया, नियमित प्रशिक्षण एवं कार्यस्थल पर गरिमा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी माँग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा गर्भवती माताओं तथा बच्चों, विशेषकर समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों तक पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक बाल देखभाल सेवाएँ पहुँचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती ही हैं। इस अग्रिम पंक्ति के कार्यबल की कार्यक्षमता एवं कल्याण आईसीडीएस योजना का प्रभावी क्रियान्वन तथा मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है। अतः मैं माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उपरोक्त मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाने की कृपा की जाय।

(इति)

Re: Need to rationalise the fee system of coaching institutes in the country

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : आज रायपुर और भिलाई जैसे शहर "सेंट्रल इंडिया का कोटा" बन रहे हैं। यह गर्व का विषय है, लेकिन इसके साथ ही ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों में एक फीस-ट्रैप-मोनोपॉली भी शुरू हो गई है। ग्रामीण एवं आदिवासी इलाकों के गरीब माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमीन बेचकर एवं क़र्ज़ लेकर लाखों रुपये एडवांस फीस देते हैं। विडंबना यह है कि यदि छात्र बीमार पड़े या इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने के कारण संस्थान छोड़ना चाहे, तो ये संस्थान एक रुपया भी वापस नहीं करते। हाल ही में नेशनल-कंज्यूमर-हेल्पलाइन ने कोरबा के एक छात्र की फीस वापस दिलाने में मदद की, लेकिन हर छात्र के लिए पढ़ाई छोड़कर कानूनी लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2024 की गाइडलाइंस का ज़मीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा। अतः छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के छात्रों के हित में, मैं आग्रह करता हूं कि:-

1. देश में "पे-पर-टर्म" सिस्टम अनिवार्य किया जाए।
2. यदि कोई छात्र बीच में संस्थान छोड़ता है, तो 10 दिनों के भीतर आनुपातिक आधार पर फीस रीफंड सुनिश्चित की जाए।

कोचिंग विवादों हेतु एक समर्पित फास्ट-ट्रैक-शिकायत-निवारण-सेल स्थापित किया जाए। हमारे छात्र देश का भविष्य हैं ना कि कुछ चुनिंदा व्यापारियों के लिए रेवेन्यू सोर्स।

(इति)

Re: Need for a Railway over-bridge at Bhawanipatna - Kantabanji LJ-19 in Kalahandi Parliamentary Constituency

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI) : I would like to draw the attention of Hon'ble Minister of Road Transport and Highways and Hon'ble Minister of Railways for the urgent need for a Railway Over Bridge in my Parliamentary Constituency of Kalahandi at Bhawanipatna - Kantabanji LJ -19, km 28/12-13. The residents of Bhawanipatna face severe hardship while commuting towards Kesinga due to frequent closure of the level crossing. This stretch has also become highly accident-prone, as heavy trucks and commercial vehicles regularly use this route, leading to traffic congestion and serious safety risks. The construction of a Railway Over Bridge at this location is essential to ensure public safety, smooth movement of traffic, and to prevent loss of precious lives. I urge the Hon'ble Minister to kindly consider this long-pending and genuine demand of the people of Bhawanipatna, Kalahandi, Odisha.

(ends)

Re: Employment related issues of people who were displaced due to Bokaro Steel Plant, Jharkhand

श्री दुलू महतो (धनबाद) : मैं माननीय इस्पात मंत्री जी का ध्यान बोकारो इस्पात संयंत्र (BSL) हेतु अपनी बहुमूल्य भूमि समर्पित करने वाले विस्थापित परिवारों के भविष्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इन विस्थापित युवाओं ने संयंत्र प्रबंधन के भरोसे पर आईटीआई और अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूर्ण किया। किंतु, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान और प्रशासनिक शिथिलता के चलते यह प्रशिक्षण समय पर पूरा नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप, आज सैकड़ों योग्य युवा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार (Overage) कर चुके हैं और अपने भविष्य को लेकर अंधकार में हैं। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि:

1. भूमि-दाता विस्थापित युवाओं के लिए एकमुश्त आयु सीमा छूट की घोषणा की जाए।
2. अप्रेंटिस पूर्ण कर चुके इन युवाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए।
3. संयंत्र निर्माण हेतु सर्वस्व त्याग करने वाले परिवारों के प्रति सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त विषय केवल रोजगार का विषय नहीं है, बल्कि उन परिवारों के प्रति न्याय का प्रश्न है जिन्होंने राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए अपनी पहचान और आजीविका की बलि दी है।

(इति)

Re: Need to provide irrigation facilities to farmers in Bharuch and Narmada districts in Gujarat

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : गुजरात में मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अंतर्गत भरूच व नर्मदा जिलों में अधिकतर जनजातीय वर्ग के परिवार रहते हैं। इन जिलों के किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा व्यापक और सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ पर पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का अभाव होने के कारण किसानों को खाद्य उत्पादन के साथ ही पशुपालन किए जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देडीयापाडा, सजाबारा, नेत्रंग, झगडीया और जालीया तालुका में सिंचाई की जरूरत है उपरोक्त क्षेत्रों में सिंचाई के कार्यों को करने के लिए त्वरित लाभार्थी सिंचाई कार्यक्रम में केंद्र सरकार धन उपलब्ध करवा सकती है और उपरोक्त क्षेत्रों में जनजाति के लोगों को खेती बाड़ी एवं पशुपालन के लिए सिंचाई साधन उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है, जिसके माध्यम से जनजातीय वर्ग के लोगों के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अंतर्गत भरूच और नर्मदा जिलों में रहने वाले जनजातीय लोगों के खेतीबाड़ी एवं पशुपालन कार्यों के विकास संबंधी विषयों का अध्ययन कर उनको व्यापक तौर पर सिंचाई सुविधाएं दिलाने में सहयोग करें।

(इति)

Re: Need to ban sale and use of Chinese strings in the country

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैं सरकार का ध्यान चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री की ओर दिलाना चाहता हूं। राजधानी दिल्ली और देश में अधिकतर राज्यों में चाइनीज मांझे पर बैन के बावजूद इसका उपयोग लगातार हो रहा है। चाइनीज मांझा नायलॉन या सिंथेटिक फाइबर से तैयार किया जाता है, जिस पर कांच का बारीक चूरा, केमिकल पाउडर और गोंद मिलाकर लेप चढ़ाया जाता है। कई मामलों में इसे और धारदार बनाने के लिए मेटल तक का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि यह मांझा बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब यह मांझा हवा में फैला रहता है, तो सड़क से गुजरने वाले बाइक सवार, स्कूटर साइकिल सवार इसकी चपेट में आ जाते हैं। कई लोगों की गर्दन इससे कट चुकी है और उनकी जान जा चुकी है। पक्षियों के लिए चाइनीज मांझा और भी जानलेवा साबित होता है। पतंगों से उलझकर पक्षियों के पंख, गर्दन पैर कट जाते हैं। दिल्ली में भी इसकी बिक्री पर 5 साल की कैद या एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं साथ हो सकती हैं लेकिन फिर भी यह मांझा बिक रहा है और इससे हादसे भी हो रहे हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस मांझे पर लगाए गए बैन का कड़ाई से पालन किया जाए।

(इति)

Re: Need to include algorithmic accountability and platform liability under proposed Digital India Act

SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL (SURAT) : Artificial Intelligence (AI) is next generation technology of the world. India is also rapidly advancing in AI positioning itself as a new player globally. World's largest tech giants are looking towards India to invest billions of dollars into AI & cloud infrastructure in India. India's "India AI Mission" has Rs 10371.92 cr. funding to boost AI ecosystem. India plans to have contribution of $1 trillion in its economy by 2035. AI adoption is surging in defence, telecommunication, electronics, healthcare, agriculture, education & fintech. Since AI is relatively a newer concept in India, it is yet framing AI policies, rules & regulations on data protection, safety, ethics & mitigating deepfakes. Of all these, deepfakes are biggest concern & threats to the country, particularly for youth, women, & political leaders &reputed citizens of the country. These AI-generated fake video/audio can mislead people, damage reputation, & spread distress, disgust & distrust in the country. India's Cyber Crime Coordination Centre (I4C) at present tracks deepfake cases. India's IT rules 2021 mandate platforms to remove deepfake cases in India. Yet I suggest that to safeguard people against misuse of AI, the Government needs to draft still stricter laws under Digital India Act & create awareness among people about AI. I suggest that the Digital India Act may include AI-specific clauses addressing algorithmic accountability & platform liability.

(ends)

Re: Need to take comprehensive measures for promotion of millets produced in Bundelkhand region of Uttar Pradesh

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI) : I rise to draw the urgent attention of this House to the immense yet underutilised potential of millet production in the Bundelkhand region of Uttar Pradesh, particularly in the districts of Jhansi and Lalitpur. Millets such as jowar, bajra, ragi, kodo, kutki and sanwa are traditionally cultivated in this semi-arid, rain-fed region and have sustained generations of small and marginal farmers due to low water requirement, climate resilience and cost-effective cultivation. Millets are globally recognised as “Shri Anna” for their exceptional nutritional value. They play a crucial role in addressing diabetes, heart disease, obesity and malnutrition, and are rich in fibre, iron, calcium and protein, making them important especially for children, pregnant women and the elderly. Despite the Government of India’s emphasis during the International Year of Millets, producers in Jhansi and Lalitpur remain confined to local markets due to inadequate processing facilities, limited branding support and absence of export-oriented infrastructure. This gap deprives farmers of remunerative prices and value addition. I urge the Government to simplify FSSAI licensing and export certification for millet producers, FPOs and Self-Help Groups; develop cluster-based infrastructure for processing, packaging, storage and exports; and initiate a scheme for GI tagging and promotion of Bundelkhand millets.

(ends)

Re: Need to provide subsidised electricity to hand-woven carpet weavers in Bhadohi Parliamentary Constituency

डॉ. विनोद कुमार बिंद (भदोही) : मेरे लोकसभा क्षेत्र भदोही को वैश्विक स्तर पर कालीन बुनकरों की कुशल कारीगरी के लिए पहचाना जाता है , 20 लाख से अधिक कारीगर एवं श्रमिको की आजीविका कालीन कारोबार से चलती है । वित्तीय वर्ष 2024- 25 के दौरान हस्त निर्मित कालीन एवं अन्य फ्लोर कवरिंग का कुल निर्यात ₹ 17740 करोड़ हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश का योगदान 65 से 70% का रहा है। जिससे यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य भारतीय हस्त निर्मित कालीन उद्योग की रीढ़ है । ऐसे में हस्त निर्मित कालीन बुनकरों को हैंडलूम / पावरलूम बुनकरों के समान निर्धारित दरों पर विद्युत आपूर्ति प्रदान किया जाना अति आवश्यक है। अगर बुनकरों को फिक्सड टैरिफ रेट पर बिजली मिलती है तो इससे बुनकरों के आर्थिक हालात तो सुधरेंगे ही, साथ में सस्ती बिजली से बुनाई के काम को जारी रखने, प्रोडक्शन कॉस्ट काम करने और पारंपरिक सेक्टर में लगे कारीगरों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। (इति)

Re: Need to reschedule arrival/departure of train no. 22823/22824 and introduce new trains from Tatanagar to Jaipur and Bengaluru

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : वर्तमान में ट्रेन संख्या 22823/22824 भुवनेश्वर–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में केवल चार दिन ही संचालित की जा रही है। इस कारण भुवनेश्वर एवं नई दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा उन्हें अन्य दिनों में यात्रा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि इस राजधानी एक्सप्रेस का शुक्रवार एवं रविवार को भी संचालन किया जाए, तो न केवल यात्रियों को पर्याप्त सुविधा मिलेगी, बल्कि इस व्यस्त मार्ग पर यात्री दबाव को भी कम किया जा सकेगा। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि ट्रेन संख्या 22824 नई दिल्ली–भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को प्रत्येक शुक्रवार तथा ट्रेन संख्या 22823 भुवनेश्वर–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को प्रत्येक रविवार संचालित किए जाने पर सकारात्मक विचार किया जाए। इसके अतिरिक्त, टाटानगर से जयपुर तथा टाटानगर से बेंगलुरु के लिए नई रेल सेवाएँ प्रारंभ किए जाने की भी अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इन मार्गों पर बड़ी संख्या में यात्री नियमित रूप से यात्रा करते हैं और वर्तमान में उन्हें पर्याप्त सीधी रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(इति)

Re: Need to ensure timely reimbursement of claims made under Ayushman Bharat Scheme

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR) : I wish to draw the urgent attention towards the mounting unpaid dues under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), popularly known as Ayushman Bharat scheme. As per recent figures, claims worth over ₹1.21 lakh crore remain unpaid across the country to both private and government hospitals. This delay is creating a severe financial strain on the healthcare system, and in many states, hospitals have started refusing treatment under the scheme. This scheme was envisioned to provide free, accessible health services to the poorest families. But with hospitals not receiving timely payments, they are either opting out of the scheme or delaying patient care. Several state branches of the Indian Medical Association (IMA) have raised serious concerns, and many hospitals have pending dues running into crores. In some cases, smaller hospitals have had to cut down on staff or shut down units altogether. This not only affects the viability of the Ayushman Bharat programme but also risks the very promise made to our citizens that of swasthya suraksha for all. I urge the Government to take immediate steps to clear the backlog of claims, ensure timely reimbursement processes, and address the systemic delays in claim approvals.

(ends)

Re: Need for establishment of FM radio stations in Latur district, Maharashtra

DR. SHIVAJI BANDAPPA KALGE (LATUR) : I would like to draw your attention towards the urgent need to establish FM radio stations in my constituency Latur, Maharashtra. Sir, FM is an important source of news and its ability to transcend borders makes radio a crucial source of information. Latur is a prominent district in the Marathwada region with a thriving economy. However, the region lacks access to a FM radio station. Sir, the establishment of an FM radio station in Latur will provide a reliable platform to ensure the dissemination of crucial Government schemes and world news. Further, Latur is a drought prone area hence, FM stations can serve as a vital tool for real-time communication and disaster management. I urge the Ministry of Information and Broadcasting to establish FM radio stations in Latur district to bridge the information gap and cater to the communication needs of its residents.

(ends)

Re: Need for comprehensive solution to the prolonged political crisis in Nagaland

SHRI S. SUPONGMEREN JAMIR (NAGALAND): Two agreements with Government of India (GOI) and Naga National Workers, viz (1.) 2015 Frame Work Agreement with IM-11 years ago and (2.) 2017-Agreed Position with 7 Naga National Political Groups (NNPGS)-9 years ago in 2018 were made. Nagaland Civil Societies stood with “No Solution, No Election” but the Government assured to the people that “Election for Solution”. The then Inter Collator announced on 31st Oct, 2019 that Naga Peace Talk is concluded and after that inter collator was replaced. In Nagaland 60 MLAs declared opposition-less Government to bring a solution. The Naga Civil Societies & NGOs were in one voice seeking peace and to resolve the Naga Political Settlement. But till now Government of India has not taken the positive final solution in this regard. Therefore, I would like to attract attention of the Government for solution through these agreement at the earliest.

(ends)

Re: Need to provide stoppage of various trains at Kherli and Bharatpur railway stations, Rajasthan

श्रीमती संजना जाटव (भरतपुर) : मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र भरतपुर से जुड़े मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ । कस्बा-खेरली अनाज मंडी, राजस्थान की प्रथम बड़ी अनाज मंडी है जहां दूर-दूर से व्यापारी आते हैं। खेरली रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना में चयनित है। अतः निम्नवत रेल गाड़ियों का ठहराव खेरली पर आवश्यक है:-

1-गाड़ी-संख्या-12547-12548-आगरा-कैंट से साबरमती

2-12988-अजमेर सियालदह।

3-12307-12308-हावड़ा जोधपुर।

4-22307- 22308- बीकानेर हावड़ा।

पूर्व मे उपरोक्त विषय पर , पत्र संख्या-SJK/R/2024 दिनांक-19.7.2024 आपके अवलोकनॉर्थ भेजा गया था। इसके अलावा भरतपुर जिला होने के साथ साथ एक संभाग भी है यहाँ के स्टेशन पर निम्नलिखित गाड़ियों का ठहराव अतिआवश्यक है

1-12909/12910 बान्द्रा- निजामुद्दीन गरीब रथ सुपरफास्ट ट्रेन

2- 12247/12248 बान्द्रा – निजामुद्दीन युवा एक्सप्रेस

3- 22941/22942 इन्दौर – उधमपुर सुपरफास्ट

4- 12953/12954 मुंबई सेन्ट्रल निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी

भरतपुर का बृज-मेवात क्षेत्र आज भी रेल सेवाओं से वंचित है। जनता की मांग को देखते हुए सन 2011 में तत्कालीन सरकार द्वारा कुम्हेर – डीग - कामा होते हुए कोसी तक रेल मार्ग की घोषणा की गई थी। लेकिन आज तक उक्त घोषणा पर कोई अमल नहीं हुआ है। अतः आप से अनुरोध है कि विषयों पर कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करें।

(इति)

Re: Need to take necessary measures to curb water pollution in River Gomti in Uttar Pradesh

श्री बाबू सिंह कुशवाहा (जौनपुर) : गोमती नदी, जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, जौनपुर क्षेत्र में सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट एवं कृषि रसायनों के कारण अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है, जिससे पर्यावरण, जनस्वास्थ्य एवं आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार नदी का बीओडी स्तर 50 मिलीग्राम/लीटर तक पहुंच गया है, जो स्नान योग्य मानक से कई गुना अधिक है। अनटैप्ड नालों, अपर्याप्त सीवेज शोधन क्षमता तथा औद्योगिक प्रदूषण के कारण जलकुंभी, फेकल बैक्टीरिया एवं भारी धातुओं की मात्रा बढ़ गई है, जिससे जलीय जीवन नष्ट हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप जौनपुर में जलजनित रोगों में वृद्धि, कृषि उत्पादन में गिरावट तथा त्वचा रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी हैं। यद्यपि नमामि गंगे योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रयास किए गए हैं, किंतु जौनपुर में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अतिरिक्त एसटीपी की स्थापना, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कठोर कार्रवाई तथा प्रभावी जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएं। यह विषय उत्तर प्रदेश की पर्यावरणीय सुरक्षा से जुड़ा है, अतः सदन में इसे रखने की अनुमति प्रदान की जाए।

(इति)

Re: Need to include ITI in Ballia Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh under National Scheme for upgradation of ITIs

श्री सनातन पांडेय (बलिया) : पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे मेरा संसदीय क्षेत्र बलिया बिहार से सटा हुआ है। बाबा भृगूनाथ की पावन भूमि स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी मंगलपाण्डेय एवं चितू पाण्डेय जैसे वीरो की शहीदी भूमि, चंद्रशेखर जी और जनेश्वर मिश्र जैसे प्रख्यात समाजवादी चिंतकों की धरती पर पिछड़ापन लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। जनपद के बेरोजगार युवकों व नौजवानों के सामने विकट समस्या बनी हुई है।

सरकार द्वारा सदन में पेश किए गए 2024-2025 के वार्षिक बजट में पूरे देश भर में 1000 आई.टी. आई. प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोन्नत किए जाने का प्रावधान किया गया है क्या मेरा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र बलिया इसमें शामिल है या नही? अगर इसमें शामिल नहीं है तो अति पिछड़ा जिला बलिया के आई.टी. आई. के प्रशिक्षण संस्थान को भी इसमें शामिल कर प्रोन्नत किया जाए जिससे बलिया जनपद के नौजवान गुणवत्ता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर देश-भर में रोजगार एवं नौकरी पा सके जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।

(इति)

Re: Need to release funds pending under various welfare schemes to West Bengal

SHRI KIRTI AZAD (BARDHAMAN-DURGAPUR) : I wish to draw the attention of the House to the continued non-release of funds to the State of West Bengal under several Centrally Sponsored Schemes, thereby depriving the people of West Bengal of their rightful entitlements. The Union Government owes nearly ₹2 lakh crore to West Bengal across various Centrally Sponsored Schemes, representing unpaid central-share obligations. In particular, under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), the Union Government has not released funds since March 2022, resulting in pending dues of approximately ₹52,000 crore, including unpaid wages and material costs. The discontinuation of fund release under the scheme and the subsequent transition cited by the Union Government to an alternative framework have severely affected the livelihood security of 59 lakh rural workers in West Bengal. Similarly, under the Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) and other key schemes relating to education, health, nutrition, drinking water, and women and child development, substantial central dues remain unpaid, leaving eligible beneficiaries without timely support. The prolonged withholding of legitimate central dues undermines the principles of cooperative federalism and inflicts hardship on crores of people in West Bengal. I urge the Union Government to release all pending funds without further delay.

(ends)

Re: Need to restore funding under Border Area Development Programme to West Bengal

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR) : The Border Area Development Programme (BADP) was launched to address the developmental needs and well-being of the people living in the border areas, to provide them with critical infrastructure and ensure the twin objectives of livelihood security and national security. West Bengal shares around 2200 km of border with Bangladesh, that is, over half of the Indo-Bangladesh border; another 183 km with Bhutan and 100 km with Nepal. Despite the state's substantial share in the country's border areas, West Bengal has been starved of funds under the BADP. From 2022-23 to 2024-25, West Bengal has received no funds under BADP. This raises serious concerns - on one hand, West Bengal has not been provided with funds to develop, to build infrastructure and ensure sustainable livelihood opportunities in its border areas; and on the other hand, Bengali migrant workers are facing difficulties in other States. I request the Government to release funds under BADP.

(ends)

Re: Need to set up a Krishi Vigyan Kendra in Thanjavur Parliamentary Constituency

SHRI MURASOLI S. (THANJAVUR) : Krishi Vigyan Kendra (KVK) serve, as a crucial link by demonstrating, assessing, and disseminating new technologies for enhanced farm productivity and sustainability. KVKs focus on practical, localized solutions in specific agro-ecosystems, offering training and resources to rural communities for improved farming practices. I request you to kindly open a Krishi Vigyan Kendra in Thanjavur Parliamentary Constituency for the benefit of the farmers of the delta region. The delta region of Tamil Nadu, is known as the rice bowl of Tamil Nadu as paddy is the foremost crop planted and harvested here. Opening a KVK here would definitely help the farmers of the region and will support them in implementing the newly announced National Mission on Natural Farming. I request you to kindly consider the proposal and grant sanction on priority for the opening of a KVK in Thanjavur at the earliest.

(ends)

Re: Need for construction of a new railway line from Kurnool to Mantralayam in Andhra Pradesh

SHRI BASTIPATI NAGARAJU (KURNOOL) : I rise to draw the attention of this august House to the urgent need for construction of a new railway line from Kurnool to Mantralayam in Andhra Pradesh, to meet the growing demand of pilgrims visiting the sacred shrine of Lord Sri Guru Raghavendra Swamy at Mantralayam. Sir, Mantralayam is among the most revered pilgrimage centres in South India, attracting lakhs of devotees from across 5 southern states throughout the year. The rush increases sharply during festivals, weekends and special occasions. However, despite its spiritual and tourism significance, direct and convenient rail connectivity to Mantralayam from key districts remains limited, causing hardship especially to senior citizens, women and families travelling with children. The proposed Kurnool–Mantralayam rail link will provide a direct, safe and time-saving travel option, reduce dependence on overcrowded road transport, and improve access for devotees from Rayalaseema and surrounding regions. This project will also promote religious tourism, generate local employment, support small businesses and strengthen the regional economy, while reducing road congestion and enhancing passenger safety. I therefore request the Hon'ble Minister for Railways to sanction and expedite this railway line with adequate funding and early completion.

(ends)

Re: Need to expedite construction of proposed Belwania bridge between Bihar and Uttar Pradesh

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर) : माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि पूर्व में VTR क्षेत्र के बाहर से होकर मदनपुर-पनियहवा के प्रस्तावित बगहा के शास्त्री नगर से उत्तर प्रदेश के बेलवनिया पुल के रद्द होने से क्षेत्र में रोष व्याप्त है एंव आम जनता प्रतिदिन धरना प्रर्दशन कर रही है। इस पुल के निर्माण होने से लाखों लोगो को लाभ मिलेगा। यह पुल बिहार यू. पी. के बीच लाइफ लाइन साबित होगा। यह मेरे संसदीय क्षेत्र के पिपरासी प्रखंड के अलावा यू पी के सीमावर्ती क्षेत्र जटहा खड्डा, छितौनी कप्तानगंज होते गोरखपुर से बगहा और भविष्य के जिला मुख्यालय को जोड़ेगा। VTR क्षेत्र में STMC नही मिलने के कारण मदनपुर-पनियहवा सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। भविष्य में इस मार्ग को वन विभाग द्वारा बंद करने के बाद बाल्मीकि नगर, सेमरा जैसे आदिवासी बहुल के लाखों लोगों एवं पिपरासी प्रखंड व यूपी के विभिन्न भागों में जाने के लिए 50 KM से अधिक की लम्बी दूरी तय करनी पड़ेगी साथ ही यह पुल दूसरी जगह शिफ्ट होने से बगहा अनुमंडल मुख्यालय का व्यवसाय और विकास सब बुरी तरह प्रभावित हो जायेगा। अत: मंत्री जी से आग्रह है कि प्रस्तावित एंव पूर्व स्वीकृत बेलवनिया पुल का निर्माण कार्य जनहित में किया जाए।

(इति)

Re: Human-animal conflict in Shirdi Parliamentary Constituency

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : यह अत्यंत गंभीर और अस्वीकार्य स्थिति है कि महाराष्ट्र के शिरडी लोकसभा क्षेत्र में बाघों के निरंतर हमलों के कारण मानव जीवन भय और असुरक्षा के वातावरण में जीने को विवश है। यह अब केवल मानव-वन्यजीव संघर्ष का विषय नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासनिक विफलता और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन के अधिकार पर सीधा आघात बन चुका है। लगातार हो रही जनहानि के बावजूद अब तक कोई निर्णायक और प्रभावी कार्रवाई न होना अत्यंत चिंताजनक है। गन्ने की घनी खेती वाले क्षेत्रों में बाघ खेतों, रास्तों, गाँवों और कस्बों तक में घुसकर दिनदहाड़े हमले कर रहे हैं। महिलाएँ और बच्चे घरों से बाहर निकलने में भयभीत हैं और पूरा क्षेत्र स्थायी जन-आतंक की स्थिति में है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (a) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि कानून स्पष्ट है, तब कार्रवाई में यह विलंब अस्वीकार्य है। अतः शिरडी क्षेत्र में केंद्र को विशेष मुआवजा, पुनर्वास और आर्थिक सुरक्षा दी जाए; घायलों को आजीवन चिकित्सा सहायता मिले; ड्रोन निगरानी, रात्रिकालीन गश्त और आफत चेतावनी व्यवस्था स्थापित की जाए; मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने हेतु दीर्घकालीन रणनीति बनाई जाए; और भविष्य में हमले होने पर प्रशासनिक जवाबदेही तय की जाए।

(इति)

Re: Need to address the acute shortage of drinking water in Sikar and Jhunjhunu districts in Rajasthan

श्री अमरा राम (सीकर) : सीकर, झुंझुनू जिले गंभीर पेयजल समस्या से जूझ रहे हें इन जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग 500 रूपए प्रति टैंकर देकर फ्लोराइड युक्त पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं, फ्लोराइड युक्त पानी से जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। खंडेला एव रिगस जेसे कस्बो में 14 दिनों बाद पानी दिया जा रहा है, वर्ष 2021 में पेयजल उपलब्ध कराने के उदेश्य से कुंभाराम लिफ्ट योजना से जल जीवन मिशन पेयजल योजना में करीब 8000 करोड़ रुपए की बनी हुई है परन्तु आज दिनांक तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है , जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए आजादी के 78 वर्ष बाद भी तरसना पड़ रहा है जबकि नारे हर घर को नल से जल पिलाने का दिया जा रहा है लेकिन शेखावाटी की जनता को शुद्ध पेयजल आज तक नहीं मिला है भूमिगत जल भी समाप्त हो चुका है । अत: हम सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं और अनुरोध करते हैं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए तत्काल कार्यवाही करें और जल जीवन मिशन के तहत कार्य शुरू करने की स्वीकृति जारी करें जिससे प्यासी जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके।

(इति)

Re: Need to set up a Permanent Passport Seva Kendra in Kargil district of Ladakh

SHRI MOHMAD HANEEFA (LADAKH) : I wish to draw the attention of the Government to the serious hardship being faced by the residents of Kargil District in the UT Ladakh due to the absence of a Passport Seva Kendra in the district. At present, applicants are compelled to travel nearly 230 kilometers to Leh or Srinagar to access passport services. This journey becomes extremely difficult during winter months when road connectivity remains disrupted due to heavy snowfall and adverse weather conditions. This situation imposes a severe financial, physical, and logistical burden on the people, particularly elderly citizens, students, and a large number of Haj and Umrah pilgrims who apply for passports every year. The lack of local facilities causes avoidable delay, hardship, and exclusion in accessing an essential public service. Kargil is a geographically remote and strategically sensitive region, and ensuring equitable access to passport services is a matter of administrative justice and national importance. I, therefore, urge the Government to establish a permanent Passport Seva Kendra in Kargil at the earliest to ensure timely, accessible, and dignified services to the people of the region.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही रविवार, दिनांक 01 फरवरी, 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1210 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा रविवार, 01 फरवरी 2026 / 12 माघ, 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।